प्रेस नोट ***22/06/2026***

थाना रानीपुर क्षेत्रान्तर्गत मंदिर से मुकुट चोरी से सम्बन्धित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद सफेद धातु का मुकुट बरामद–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे वांछित अपराधियों के विरूद्ध गिरफ्तारी अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी मु0बाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना रानीपुर पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 21.06.2026 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर शमशाबाद स्थित सर्विस रोड के पास से मु0अ0सं0 79/2026 धारा 303(2) से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्त संदीप यादव पुत्र शोभनाथ यादव निवासी शमशाबाद, थाना रानीपुर, मऊ उम्र 26 वर्ष के कब्जे से चोरी की एक अदद सफेद धातु का मुकुट दो टुकड़ो में बरामद कर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 317(2) की बढोत्तरी कर नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

उल्लेखनीय है किं दिनांक 20.6.2026 को समय करीब 6- 7 बजे शाम ग्राम नगपुर के राम जनकी मन्दिर से हनुमान जी की मूर्ति का मुकुट चोरी करने वाले अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम संदीप यादव पुत्र शोभनाथ यादव (उम्र 26 वर्ष, निवासी शमशाबाद, थाना रानीपुर, मऊ) बताया उसने यह मुकुट दिनांक 20.06.2026 की शाम को नगपुर गांव के रामजानकी मंदिर से चुराया था, जिसे वह आज बेचने की फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. संदीप यादव पुत्र शोभनाथ यादव निवासी शमशाबाद, थाना रानीपुर, मऊ उम्र 26 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान-

1. शमशाबाद स्थित सर्विस रोड पर दिनांक 21.06.2026 समय करीब 07.30 बजे शाम

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद सफेद धातु का मुकुट दो टुकड़ो में

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 523/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 243/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 303/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 79/26 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना रानीपुर जनपद मऊ

थाना मधुबन पुलिस द्वारा एक शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी एक मोटरसाइकिल व एक मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त, 01 अवैध तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ के पर्वेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.06.2026 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भैरोपुर चट्टी से लगभग 100 मी.राजू चौक की तरफ से मु0अ0सं0 213/2026 धारा 303(2) बी.एन.एस से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 नफर अभियुक्त 1. राहुल प्रसाद पुत्र सुरेंद्र प्रसाद निवासी रामपुर कमना भैरोपुर थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल व 01 अदद नाजायज तमन्चा, 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है किं दिनांक 19.06.2026 को शिकायतकर्त्ता श्री विजय प्रकाश चौहान पुत्र स्व0 नीबूलाल चौहान निवासी धरमपुर विशुनपुर जरलहवा थाना मधुबन जनपद- मऊ द्वारा दिनांक 18.06.2026 को 11.30 बजे खुद के भाई की मोटर साइकिल चोरी हो जाने के सम्बन्ध में लिखाये गये मु0अ0सं0 213/2026 धारा 303(2) बी.एन.एस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त 01 नफर अभियुक्त 1. राहुल प्रसाद पुत्र सुरेंद्र प्रसाद निवासी रामपुर कमना भैरोपुर थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष के विरूद्ध धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राहुल प्रसाद पुत्र सुरेंद्र प्रसाद निवासी रामपुर कमना भैरोपुर थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष ।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 213/2026 धारा 303(2) 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ।

वाछित अभियुक्तगण-

1. सोनू उर्फ सुदामा पुत्र रामभवन निवासी-धर्मपुर लिलहवा थाना मधबुन जनपद मऊ
2. अवनीश यादव पुत्र अखिलेश यादव सा.मिश्रौली दुबारी थाना मधुबन जनपद मऊ

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

भैरोपुर चट्टी से लगभग 100 मी.राजू चौक की तरफ दिनांक 22.06.2026 समय 01.35 बजे रात्रि

बरामदगी का विवरण –

1. चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल, एक अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल।
2. 01 अदद तमन्चा 315 बोर
3. 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

राहुल प्रसाद पुत्र सुरेंद्र प्रसाद-

1. मु0अ0सं0 213/2026 धारा 303(2) बी.एन.एस ,

सोनू उर्फ सुदामा पुत्र रामभवन निवासी-धर्मपुर लिलहवा थाना मधबुन जनपद मऊ-

1. मु0अ0सं0 18/2024 धारा 379, 411 भा0द0वि0 थाना दोहरीघाट,
2. मु0अ0स0 448/2022 धारा 323, 504, 506 भा0द0वि0 थाना मधुबन,
3. मु0अ0सं0 361/2024 धारा 303(2), 317(2), 317(5) बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन
4. मु0अ0सं0 253/2025 धारा 303(2), 317(2), 317(5), 319(2) बी.एन.एस थाना मधुबन।

अवनीश यादव पुत्र अखिलेश-

1. मु0अ0सं0 18/2024 धारा 379, 411 भा0द0वि0 थाना दोहरीघाट
2. मु0अ0सं0 318/2024 धारा 411, 420, 467, 468 भा0द0वि0 व 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन

3. मु0अ0सं0 81/2026 धारा 110, 115(2), 3(5), 351(3) बी.एन.एस थाना मधुबन
4. मु0अ0सं0 89/2026 धारा 303(2) बी.एन.एस

आगामी त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने एवं शांति/सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत दिनांक 22.06.2026 को पुलिस लाईन मऊ के सभागार कक्ष में पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ परिक्षेत्र आजमगढ श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के साथ कानून-व्यवस्था/अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुप कुमार, समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं शाखा प्रभारी उपस्थित रहे। इसी क्रम में महोदय द्वारा अपराध एवं कानून व्यवस्था के विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी तथा शांति/कानून व्यवस्था के विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालते हुये निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गये –

1 .छोटी-छोटी घटनाओं पर भी विशेष नजर बनायें रखें तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाय।

2 .गंभीर घटना कारित होने पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया जाय एवं उच्चाधिकारियों को ब्रीफ किया जाय।

3 .जनशिकायतों/आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अतिशीघ्र गुणवत्तापूर्ण किया जाय तथा मौके का भ्रमण अवश्य किया जाय।

4 .अपराधों को रोकने हेतु पैदल गस्त एवं पिकेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

5 .बीट व्यवस्था प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाय।

6 .गोवध के मामलों में अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा/गैंगेस्टर की कार्यवाही अवश्य की जाय।

7 .अवैध मद्य निष्कर्षण/बिक्री/परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाया जाय तथा सम्भावित क्षेत्रों में निरंतर चेकिंग/दबिश की कार्यवाही की जाय एवं इस अपराध में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर की कार्यवाही की जाय।

8 .लूट की घटनाओं को रोकने हेतु पूर्व में संलिप्त रहे अपराधियों का अभियान चलाकर सत्यापन किया जाय तथा उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।

9 .जमीन सम्बन्धी विवादों में राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर मौके का भ्रमण कर समाधान कराया जाय।

10 .सभी थाने पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन कर आवश्यक दिशा-निर्देशों से सभी को अवगत करा दिया जाय।

11 .सम्पूर्ण समाधान तहसील/थाना दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण 05 दिवस में अवश्य कर लिया जाय।

12 .महिला सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाय।

13 .आगामी त्यौहारों के अवसर पर भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर गस्त/पिकेट की व्यवस्था की जाय।

14 .सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि बनायें रखें तथा अफवाहों का खंडन अतिशीघ्र करें।

15 .संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 22.06.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 34 टीम गठित कर जनपद के 44 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 506 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 06 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा फ्रॉड हुए 30000-/ रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी घोसी व प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में थाने पर साइबर टीम द्वारा थाना घोसी साइबर पोर्टल मु0 अब्बास पुत्र जायर हसन निवासी बडागांव थाना घोसी जनपद मऊ के साथ अज्ञात व्यक्ति फोन करके आवेदक के खाते से 30000/- रुपये का साइबर फ्रॉड किया गया था। जिसके सम्बन्ध में

आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना घोसी द्वारा में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 30000/- रुपये वापस कराया गया।

थाना मुहम्मदाबाद गोहना साइबर पुलिस टीम द्वारा फ्रॉड हुए 4900/- रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में थाने पर साइबर टीम द्वारा थाना मुहम्मदाबाद गोहना साइबर प्रदीप कुमार प्रजापति पुत्र विनय कुमार निवासी थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊके साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा यूपीआई के माध्यम से 4900/- रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ था जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना मुहम्मदाबाद गोहना में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 4900/-रुपये वापस कराया गया।

थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा फ्रॉड हुए 19208-/ रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी घोसी व प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में थाने पर साइबर टीम द्वारा थाना घोसी साइबर पोर्टल संतलाल चौहान पुत्र सुक्खु चौहान निवासी नदवासराय थाना घोसी जनपद मऊ के साथ अज्ञात व्यक्ति फोन करके आवेदक के खाते से 19208/- रुपये का साइबर फ्रॉड कर लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना घोसी द्वारा में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 19208/- रुपये वापस कराया गया।

थाना सरायलखंसी साइबर पुलिस टीम द्वारा फ्रॉड हुए 9065-/ रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में थाने पर साइबर टीम द्वारा थाना साइबर पोर्टल पर आवेदक रामनाथ यादव पुत्र-पुरुषोत्तम यादव रणवीरपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के साथ यूपीआई के माध्यम से आवेदक के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके फ्राड किया गया था। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी । उक्त शिकायत के आधार पर थाना सरायलखंसी में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 9065-/ रुपये वापस कराया गया।

आगामी त्योहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा नगर क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा-

आज दिनांक 22/06/2026 को आगामी पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, व भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कोतवाली नगर क्षेत्र के मुंशीपुरा ओवर ब्रिज,रेलवे हाता मजार,असलम होटल,सेलटैक्स रोड़,मुंशीपुरा ताजिया चौक तक रुट मार्च/पैदल गश्त कर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था का जायजा लिया गया।

पैदल गश्त के दौरान अधिकारियों द्वारा नगर के प्रमुख ताजिया मार्गों, चौराहों, बाजारों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, यातायात प्रबंधन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही मुहर्रम जुलूसों के निर्धारित मार्गों एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा स्थानीय नागरिकों, धर्मगुरुओं, ताजियादारों एवं संभ्रांत व्यक्तियों से संवाद स्थापित कर पर्व को आपसी भाईचारे, शांति एवं सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई।